

सामान्य उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचायत जिला दौसा

श्री देवी सुखा  
दस्तावेज

कानून नं० 1200.25  
प्रार्थना पत्र

नम्बर नं० 11/2



पत्रावली पेश हुई। तत्कालीन तहसीलदार प्र०पत्र। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी मंगलसहाय पुत्र सुखा जाति बैरवा गिहरी सलेमपुरा में श्री अरविन्द जोशी अधिवक्ता ने पत्रावलीनामा पेश किया। मजीलाल, भैहनूशम, सोनीराम, रामधन, हीरालाल की ओर से नाथू शर्मा अधिवक्ता ने दिनांक 22.7.22 को पत्रावलीनामा पेश किया था। जो शामिल पत्रावली है।

नाथू पुत्र सुखा जाति बैरवा के गारिसों की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामान मय पत्रावलीनामा श्री अरविन्द जोशी अधिवक्ता ने दिनांक 12.08.25 को प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया।

वकील अप्रार्थीगण श्री रामगढ़ शर्मा अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रा०पत्र के मद न० 2 के अनुसार भूली देवी सुखा द्वारा दिनांक 4.8.99 को अपंजीकृत इकरारनामों के माध्यम से मोतीलाल, ग्यारसा, श्योनारायण, नैहनुराम पिसरान कालू को हिस्सा 1/2 आराजी का अवैध बेचान कर दिया। जिसका प्रतिफल 03-03 लाख केताओं से प्राप्त कर लिया और साक्ष्य के रूप इकरारनामों की छाया - प्रति संलग्न करना निवेदन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि भूली के इन्तकाल प्रमाण - पत्र दिनांक 18.1.11 के आधार पर विरासत का नामान्तरकण गंगा सहाय, नाथुलाल पिसरान सुखा के हक में नामान्तरकरण सं० 582 दिनांक 23.8.16 से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया। जो वर्तमान खातेदार है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि तहसीलदार राहूवास ने प्रा०पत्र के साथ आधारभूत दस्तावेजात इकरारनामा दिनांक 4.8.99 पेश नहीं किया। जो एक अहम दस्तावेज है।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में मुस्समात भूली देवी द्वारा उक्त आराजीयात मुतनाजा ख०न० 46 रकबा 2.5300 है० ( साबिक नं० 20/2 रकबा 10 बीघा ) वाके ग्राम सलेमपुरा का विधि विरुद्ध तरीके से बेचान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघन किया जाना सिद्ध नहीं होता।

अतः प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार राहूवास आधारभूत दस्तावेजों के साथ पुनः नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला अधिकारी एवं  
उप जिला मजिस्ट्रेट  
रामगढ़ पंचायत (दौसा)